GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय
(RAILWAY BOARD रेलवे बोर्ड)

No. 2021/H-1/11/10/MoU **New Delhi, Dated 10 .02.2025**

The General Managers,
All Indian Railways & Production Units.

PCAO/PLW, CAO/RWP & DG/RDSO.

Sub: Changes in Para 7 of the Draft MoU to be entered into between HCOs and Railways.
Ref:(i) Railway Board's letter no.2023/H/28/1/RELHS/Empanelled (CGHS) dated 19.09.2023 & 02.01.2025.
(ii) Railway Board's letter of even no. dated 20.11.2023.

In order to extend facilities of OPD consultations & investigations for RELHS beneficiaries aged 75 years & above from specialists of private hospitals empanelled by Railways on cashless basis as a pilot project for one year from 01.11.2023 to 31.10.2024, a Para 7(iv) had been inserted in the Draft MoU vide Board's letter of even no. dated 20.11.2023.

Now, the pilot project to provide cashless OPD consultations & investigation facilities has been extended to RELHS Beneficiaries aged 70 years and above for next 03 years i.e. from 01.11.2024 to 31.10.2027 vide Board's letter no. 2023/H/28/1/RELHS/Empanelled (CGHS) dated 02.01.2025.

Accordingly, following changes in para 7 of the Draft MoU issued vide Railway Board's letter dated 20.11.2023 have been made:

Para 7(iv): *RELHS beneficiaries aged 70 years and above (having valid UMID cards and not getting FMA) seeking direct OPD consultation (not including issue of medicines) from specialists of Private Hospitals empanelled by Railway, without referral from Railway Hospital/ Health Unit under which beneficiary is registered.*

Para 7(iv) (a): *This facility will be available for only those aged 70 years & above RELHS beneficiaries (having valid UMID card) who are eligible for OPD consultation at Railway Hospitals/ Health Units. This facility is not available to beneficiaries having UMID card with FMA.*

Para 7(iv) (f): *The pilot project is extended for 03 years i.e. from 01.11.2024 to 31.10.2027 beyond 31.10.2024.*

This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(P. M. Meena)
Director/Health
Railway Board

No. 2021/H-1/11/10/MoU **New Delhi, Dated 10 .02.2025**

Contd.....

Copy to:

1. The Principal Directors of Audit, All Indian Railways/Production Units.
2. The Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi.

10.2.2025
for Member Finance/Railway Board.

No. 2021/H-1/11/10/MoU New Delhi, Dated 10 .02.2025

Copy to:

1. The PCMDs/PCMOs, All Indian Railways/Production Units & RDSO.
2. The Principal Financial Advisors, All Indian Railways & Production Units & RDSO.

(P. M. Meena)
Director/Health
Railway Board

No. 2021/H-1/11/10/MoU New Delhi, Dated 10 .02.2025

Copy to:

1. The General Secretary, NFIR, Room no. 256-E, Rail Bhawan, New Delhi.
2. The General Secretary, AIRF, Room no. 253, Rail Bhawan, New Delhi.
3. All Members of Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozshah Road, New Delhi.
4. The Secretary General, FROA & IRPOA, Room No.256-A & 268, Railway Board.
5. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
6. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, RBMSA, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
11. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No.8 Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi.
12. General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association (Regd.), 490A/16, Gurudwara Road, Gurgaon.

10/02.
For PED(IR), Railway Board

Copy to: F(E) Spl. Branch Railway Board.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं.2021/एच-1/11/10/एमओयू **नई दिल्ली, दिनांक 10 .02.2025**

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां।

प्रधान मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/पटियाला रेलइंजन कारखाना,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/रेल पहियाकारखाना एवं महानिदेशक/अअमासं।

विषय:- स्वास्थ्य देखभाल संगठन और रेलवे के बीच होने वाले समझौता ज्ञापन प्रारूप के पैरा 7 में परिवर्तन।
संदर्भः (i) रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2023/H/28/1/RELHS/Empanelled(CGHS) दिनांक 19.09.2023 एवं 02.01.2025।
(ii) रेलवे बोर्ड का समसंख्यक पत्र दिनांक 20.11.2023 ।

रेलवे द्वारा पैनलबद्ध निजी अस्पतालों के विशेषज्ञों से 75 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना (आरईएलएचएस) लाभार्थियों के लिए कैशलेस आधार पर ओपीडी परामर्श और संबंधित जांच की सुविधाएं बढ़ाने के उदेश्य से 01.11.2023 से 31.10.2024 तक एक वर्ष के लिए प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई थी, जिसके लिए बोर्ड के दिनांक 20.11.2023 के समसंख्यक पत्र के तहत समझौता ज्ञापन प्रारूप में पैरा 7(iv) को जोड़ा गया था।

अब, बोर्ड के दिनांक 02.01.2025 के पत्र संख्या 2023/H/28/1/RELHS/Empanelled (CGHS) के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना (आरीएलएचएस) लाभार्थियों के लिए कैशलैस ओपीडी परामर्श और संबंधित जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रायोगिक परियोजना को अगले 03 वर्षों अर्थात 01.11.2024 से 31.10.2027 तक बढ़ा दिया गया है।

तदनुसार, रेलवे बोर्ड के दिनांक 20.11.2023 के पत्र के तहत समझौता ज्ञापन प्रारूप के पैरा 7 में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैः

पैरा 7(iv):70 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले आरईएलएचएस लाभार्थी (जिनके पास वैध यूएमआईडी कार्ड है और निश्चित चिकित्सा भत्ता नहीं ले रहे हैं) रेलवे अस्पताल/स्वास्थ्य इकाई जिसके अंतर्गत लाभार्थी पंजीकृत है, से रेफर कराए बिना ही रेलवे द्वारा पैनलबद्ध प्राइवेट अस्पतालों के विशेषज्ञों से ओपीडी परामर्श लेना चाहते हैं (जिसमें दवाइयां जारी करना शामिल नहीं है)

पैरा 7(iv)(क): यह सुविधा केवल 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले आरईएलएचएस लाभार्थी (जिनके पास वैध यूएमआईडी कार्ड है)के लिए है, जो रेलवे अस्पताल/स्वास्थ्य इकाइयों में ओपीडी परामर्श लेने के लिए पात्र हैं जिन लाभार्थियों के पास यूएमआईडी कार्ड के साथ निश्चित चिकित्सा भत्ता की सुविधा है, उनके लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

पैरा 7 (iv) (च): प्रायोगिक परियोजना को 31.10.2024 से आगे 03 वर्ष अर्थात 01.11.2024 से 31.10.2027 तक बढ़ा दिया गया है।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(पी.एम.मीना)
निदेशक/स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं.2021/एच-1/11/10/एमओयू **नई दिल्ली, दिनांक 10 .02.2025**

- 2 -

प्रतिलिपि:

1. प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक, सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।
2. भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

10.2.2025

कृते सदस्य (वित्त), रेलवे बोर्ड

सं.2021/एच-1/11/10/एमओयू

नई दिल्ली, दिनांक 10 .02.2025

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/ प्रधान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां एवं अअमासं.।
2. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें, उत्पादन इकाइयां एवं अअमासं.।

(पी.एम.मीना)
निदेशक/स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं.2021/एच-1/11/10/एमओयू

नई दिल्ली, दिनांक .02.2025

प्रतिलिपि:

1. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली)।
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ और आईआरपीओए, कमरा नं. 256-ए एवं 268 रेलवे बोर्ड।
5. जनरल सेक्रेटरी,ऑल इंडिया आरपीएफ एसोशिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन,कमरा नं.256-डी रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी'ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, आरबीएमएसए, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' एम्पलोईज एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, कमरा नं. 8, ग्राउंडफ्लोर, रेल भवन, नई दिल्ली-110001
12. जनरल सेक्रेटरी, रिटायर्ड रेलवे इम्प्लाइज वेल्फेयर एसोसिएशन (रजि.), 490ए/16, गुरुद्वारा रोड,गुरुग्राम।

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक(औद्योगिक संबंध)/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

वित्त (स्था.) विशेष शाखा रेलवे बोर्ड।